



## उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: 1219/1, ई-ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122

**U. P. POLLUTION CONTROL BOARD**  
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्या: 826 / एनओसी- 4410 / 13

सेवा में,

मैसर्स भारत पेट्रोलियम का० लि०, (पेट्रोल पम्प)  
ग्राम-खेडा, तहसील-ऑवला,  
बरेली।

दिनांक

02/07/13

**विषय:** पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.04.13 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:-
  - (क) खसरा संख्या - 13 मि०, ग्राम खेडा, तहसील ऑवला, बरेली।
  - (ख) उत्पादन - 15 किली० पेट्रोल, 20 किली० डीजल का भण्डारण एवं वितरण कार्य।
  - (ग) मुख्य कच्चे माल - पेट्रोल, डीजल
  - (घ) औद्योगिक उत्स्रवाह की मात्रा: -शून्य-
  - (ङ) प्रयुक्त ईंधन: - 10 केवीए डीजी सेट हेतु आवश्यकतानुसार।
  - (च) वैद्यता अवधि: जारी होने की तिथि से दो वर्ष तक मान्य

मुख्यालय: पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 02.08.13 तक प्रथम अनुपालन आख्या आवश्यक प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अथवा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, बरेली को पत्र संख्या 22(5)/पेट्रोसहा0-2013, दिनांक 29.05.13 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी